



दूरभाष : 0522-2286709  
फैक्स : 0522-2286711  
राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0 लखनऊ  
नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ— 226001

पत्रांक 2523 / 46 / दस / 2009

दिनांक 27 अक्टूबर, 2014

सेवा में,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,

जिला नगरीय विकास अभिकरण,

लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मेरठ इलाहाबाद, गाजियाबाद, बरेली, अलीगढ़,  
मुरादाबाद, झांसी, सहानपुर, गोरखपुर, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, मथुरा,  
शाहजहांपुर, रामपुर, इटावा, कन्नौज एवं रायबरेली।

नगर आयुक्त,

नगर निगम,

लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मेरठ इलाहाबाद, गाजियाबाद, बरेली, अलीगढ़,  
मुरादाबाद, झांसी, सहानपुर एवं गोरखपुर।

अधिशासी अधिकारी,

नगर पालिका परिषद्,

फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, मथुरा, शाहजहांपुर, रामपुर, इटावा, कन्नौज एवं  
रायबरेली।

विषय— केन्द्र पुरोनिधानित योजना 'भागीदारी में किफायती आवास (Affordable Housing in Partnership) योजना के कियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

भागीदारी में किफायती आवास योजना वर्ष 2009 में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के उपघटक बी0एस0यू0पी0 के एक भाग के रूप में आरम्भ की गयी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी गरीबों के लिए आवासों की कमी को पूरा करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी से किफायती आवास निर्मित करना था। वर्ष 2011 में शहरी क्षेत्र में स्लमों को नियंत्रित करने हेतु अर्फ़ोडेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप योजना को संशोधित करते हुए आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजीव आवास योजना से सम्बद्ध कर दिया गया है। शहरी क्षेत्रों के बन रहे स्लमों को रोकने के लिए तथा निम्न आय वर्ग (ई0डब्लू0एस0) एवं अल्प आय वर्ग (एल0आई0जी0) के लिए आवासीय स्टाक को बढ़ाने हेतु इस योजना में निजी भागीदारी के माध्यम से आवासीय भवनों का निर्माण किया जायेगा।

राजीव आवास योजना के अन्तर्गत प्रदेश के चयनित सभी शहरों में भागीदारी में किफायती आवास योजना का संचालन किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रदेश में किफायती आवास परियोजनाओं का निर्माण, कियान्वयन एवं संचालन स्थानीय नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरणों सहित अन्य पैरास्टेटल्स, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद एवं निजी निर्माता / डेवलपर्स एजेन्सियों द्वारा किया जायेगा।

राज्य स्तर पर भागीदारी में किफायती आवास योजना के कियान्वयन हेतु नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन नोडल विभाग द्वारा राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) नामित किया गया है।

योजना के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या— 1072/69-1-14-14(7)/2014, दिनांक 21 अगस्त, 2014 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जो कि सूडा, उ0प्र0 की बेवसाइट [www.sudaup.org](http://www.sudaup.org) पर उपलब्ध है।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग और उनके नियंत्रणाधीन उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण एवं अन्य पैरास्टेटल्स को अपने स्तर से परियोजना तैयार कराकर शीध्र जिला नगरीय विकास अभिकरण (झूड़ा) को उपलब्ध कराने हेतु शासन के पत्र संख्या— 1072/69-1-14-14(7)/2014, दिनांक 01 सितम्बर, 2014 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं, जो कि सूडा, उ0प्र0 की बेवसाइट [www.sudaup.org](http://www.sudaup.org) पर उपलब्ध है।

योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों एवं अन्य पैरास्टेटल्स से समन्वय स्थापित करते हुए परियोजनाओं को शीध्र तैयार कर सूडा, उ0प्र0 मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एस0एल0एल0सी0) के अनुमोदनोपरान्त स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया जा सके।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)  
निदेशक

### पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1 सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2 निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3 परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मेरठ इलाहाबाद, गाजियाबाद, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहानपुर, गोरखपुर, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, मथुरा, शाहजहांपुर, रामपुर, इटावा, कन्नौज एवं रायबरेली।
- 4 सहायक बेवमास्टर को सूडा की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

29/09/2014  
(श्रीप्रकाश सिंह)  
निदेशक